भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1889
06 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

खाद्य और खाद्य उत्पादों के लिए निगरानी तंत्र

1889. श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में अधिकांश भारतीय मसाला ब्रांड अपेक्षित सुरक्षा मानकों को पूरा करने में विफल रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन कंपनियों और उनसे संबद्ध उत्पादों के नाम क्या हैं जो अपेक्षित सुरक्षा मानकों को पूरा करने में विफल रहे हैं;
(ख) उन मानदंडों का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है जिनके आधार पर उपरोक्त मसाले संबंधित उत्पादों के साथ अपेक्षित सुरक्षा मानकों को पूरा करने में विफल रहे;
(ग) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कतिपय कीटनाशकों के लिए अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल) में वृद्धि की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार देश में खाद्य सुरक्षा मानकों को और अधिक कठोर बनाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) क्या सरकार की खाद्य और खाद्य उत्पादों के निगरानी तंत्र को और अधिक कठोर बनाने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ़एसएसएआई) देश भर में उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, एफएसएसएआई खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए

विनियमों के अंतर्गत यथा निर्धारित गुणवत्ता और सुरक्षा पैरामीटरों तथा अन्य अपेक्षाओं के अनुपालन की जांच करने के लिए दूध सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी, मॉनीटरिंग, निरीक्षण और यादृच्छिक नमूना लेता है।

जिन मामलों में खाद्य नमूने के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं उनमें चूककर्ता खाद्य व्यापार संचालकों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, नियमावली और विनियम के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। पिछले 2 वर्षों में विश्लेषित मसाले के नमूनों में पाए गए असुरक्षित और घटिया नमूनों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	विश्लेषित नमूने	असुरक्षित	घटिया
2022-23	11979	534	743
2023-24	11919	707	816

(ग) से (ङ): में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विष और अवशेष) विनियम, 2011 के अंतर्गत मसालों सहित खाद्य वस्तुओं पर कीटनाशकों की अधिकतम अवशेष सीमाएं (एमआरएल) निर्धारित की हैं। खाद्य वस्तुओं के लिए एमआरएल का निर्धारण एक गतिशील प्रक्रिया है। हाल ही में, एफएसएसएआई ने खाद्य वस्तुओं के लिए कीटनाशकों के एमआरएल के लिए एक व्यापक (संशोधित और नया समावेशन) मसौदा अधिसूचना जारी की है।

एफएसएसएआई खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत गठित वैज्ञानिक पैनलों और वैज्ञानिक समिति द्वारा प्रदान की गई जोखिम मूल्यांकन और वैज्ञानिक सलाह के आधार पर खाद्य वस्तुओं के देश विशिष्ट मानक तैयार करता है। इन मानकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत कोडेक्स मानकों के साथ सामंजस्य में बनाया गया है।

एफएसएसएआई ने जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली (आरबीआईएस) भी लागू की है, जिसमें 9 उच्च जोखिम वाले खाद्य श्रेणियों (आरबीआईएस के तहत निर्दिष्ट) में काम करने वाले खाद्य व्यवसायों को अनिवार्य रूप से वार्षिक निरीक्षण से गुजरना आवश्यक है। इसके अलावा, प्रवर्तन कार्यकलापों को प्राथमिकता देने के लिए प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रति माह 25 नमूनों का न्यूनतम नमूना लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

******